तारीख हुक्म	नामजी पत्र हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.नं. 169/2018
21-8-18	वादियों एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता मौजूद। मुक-मुक्त का आवास दिलवायी गई परन्तु अदालत में कोई भी उपस्थित नहीं हुये है। अतः वादियों का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल हुआ रोस्टर नम्बर से कमठे तथा बाद तामील प्रविष्ट रोस्टर मण्डाया हो।

Earlier
सहायक कलक्टर
[illegible]